संख्या-16/2022/950ई-2/तेरह-2022-1628601

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 06 जून, 2022

विषय- श्री पीयूष रंजन अग्रवाल एवं श्री अभिषेक रंजन अग्रवाल पुत्रगण श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल, निवासीगण 19, लाउदर रोड, जार्ज टाउन, प्रयागराज के एफ.एल.-6 बार अनुज्ञापन होटल नवीन कान्टीनेन्टल, 29/30 के.पी. कक्कड़ रोड, प्रयागराज को माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः जी-163 दो-प्रा.एम.बी.(14)/लघु यवासवनी, दिनांक 11-05-2022 (छायाप्रति संलग्न), का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 11-05-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री पीयूष रंजन अग्रवाल एवं श्री अभिषेक रंजन अग्रवाल पुत्रगण श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल, निवासीगण, 19, लाउदर रोड, जार्ज टाउन, प्रयागराज के एफ.एल.-6 बार अनुज्ञापन होटल नवीन कन्टीनेन्टल , 29/30 के.पी. कक्कड़ रोड, प्रयागराज को 143 लीटर प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्यकारी दिवस के आधार पर 50,050 लीटर ड्राट बियर उत्पादन किये जाने हेतु माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगाः-

(1) उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवां संशोधन) नियमावली, 2019 में माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु उल्लिखित नियम एवं शर्तें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) माइक्रो ब्रिवरी स्थापना से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल एवं वायु हेतु निर्गत किये जाने वाला कन्सेन्ट आर्डर प्राप्त करते हुये उसमें उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

(3) इकाई द्वारा स्थानीय जल उपयोगिता, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र और भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से रजिस्ट्रीकरण के संबंध में उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवां संशोधन) नियमावली, 2019 में विहित व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(4) उक्त के अतिरिक्त इकाई द्वारा गुड मैन्यूफैक्चिरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।